संख्याः–93 /38–7–2009–10 एनआरईजीए/05

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7

दिनांक 13 जनवरी, 2009

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्याः–2987/38–7–2008–10–एनआरईजीए/05, दिनांक 16.12.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत कार्मिकों की सेवाएं सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्त किए जाने हेतु सेवा प्रदाता के चयन के संबंध में है। संदर्भित शासनादेश के क्रम कतिपय मण्डलों से निम्नलिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिए जाने की अपेक्षा की गयी है। तत्क्रम में बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार हैः–

संदर्भकर्ता	संदर्भित बिन्दु	मार्गदर्शन
संयुक्त विकास आयुक्त, आजमगढ़	1–कुल 21 सेवा प्रदाताओं के Expression of Interest प्राप्त हुए हैं। इनमें से जो सेवा प्रदाता कम्पनी (एक्ट/रजिस्ट्रेशन सर्विस एक्ट) के रूप में पंजीकृत नहीं है, क्या वे टेण्डर दे सकते हैं। यदि देंगे तो क्या इनके टेण्डर खोले जाएंगे?	1–सेवा प्रदाता कम्पनी का रजिस्ट्रेशन कम्पनी एक्ट में होना चाहिए। यदि इस एक्ट में पंजीकरण नहीं हैं तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
	2–टेण्डर डालने के लिए कोई प्रारूप/फार्म निर्धारित नहीं है। यदि प्रारूप निर्धारित नहीं होगा तो तुलनात्मक चार्ट तैयार करने में कठिनाई होगी	2–टेण्डर डालने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रारूप निर्धारित नहीं किया गया है। टेण्डर सिर्फ एक बिन्दु(सर्विस चार्ज) पर डाला जाना है। जिसमें कम्पनी द्वारा दी जाने वाली सेवा(कुल लागत) के सापेक्ष प्रतिशत के आधार पर डाला जाना है। अतः तुलनात्मक चार्ट बिडर्स द्वारा कोट किए गए कमीशन के आधार पर तैयार किया जाना है।
	3–तकनीकी सहायकों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 62 वर्ष निर्धारित है जबकि अन्य पदों (अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा इन्ट्री आपरेटर तथा एकाउन्ट्स असिस्टेंट) के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है।	3–शेष पदो के लिए शासन के नियमानुसार न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। आरक्षित श्रेणी के लिए 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।
	4–शासनादेश के अनुसार तकनीकी सहायकों की सेवाएं भी सेवा प्रदाता के माध्यम से ली जानी है। इससे यह माना जा रहा है कि पूर्व से कार्यरत तकनीकी सहायकों की सेवाएं इस व्यवस्था के लागू होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसे स्पष्ट करना भी आवश्यक है।	4–कार्यरत तकनीकी सहायकों की सेवाएं उनके अनुबंध की तिथि तक रहेंगी। उसके उपरांत उन्हें सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लिया जाएगा। अनुबंध में समय का उल्लेख न होने की दशा में वित्तीय वर्ष का अंत अनुबंध की समाप्ति की अंतिम तिथि मानी जाएगी।
	5–शासनादेश में अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग सर्विस टैक्स कोड किए जाएंगे। यह कोड की जाने वाली धनराशि एकल पद के लिए होगी या टेण्डर नोटिस में इंगित उस श्रेणी के समस्त पदो के लिए होगी, स्पष्ट नहीं है। इसे स्पष्ट करना आवश्यक होगा।	5–सर्विस चार्ज एक वैधानिक आवश्यकता है अतः इसमें टेण्डर से कोई सम्बन्ध नही है।
	6–क्या टेण्डर दाता द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में अंकित की जाने वाली धनराशि टेण्डर दाता द्वारा देय विभिन्न करों आदि की देय धनराशि को सम्मिलित करके उल्लिखित की जाएगी अथवा उसके बिना	6–टेण्डर दाता द्वारा सर्विस चार्ज के रूप में अंकित की जाने वाली धनराशि अंकित की जाए।

	अंकित की जायेगी।	
संयुक्त विकास आयुक्त, सहारनपुर	7–क्या सेवा प्रदाता एवं सरकार के मध्य कोई अनुबंध होगा। यदि होगा तो कितनी अवधि का होगा।	7–सेवा प्रदाता एवं सरकार के मध्य एक वर्ष का अनुबंध होगा। सेवाएं संतोषजनक होने पर अनुबंध का नवीनीकरण किया जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम /योजना के प्राविधानों अथवा नियमों में संशोधन होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त किए जाने की व्यवस्था का भी उल्लेख अनुबंध में किया जाएगा। अनुबंध निरस्त करने की स्थिति में तीन माह की पूर्व नोटिस भी दी जाएगी।
	8–सेवा प्रदाता को सर्विस टैक्स का भुगतान किसके द्वारा किया जाएगा।	8–सर्विस टैक्स का भुगतान सम्बन्धित जनपद द्वारा नियमानुसार सेवा प्रदाता को किया जाएगा।
	9–सेवा प्रदाता का चयन हो जाने की दशा में उसे देय सर्विस टैक्स आदि के भुगतान में यदि अत्यधिक विलम्ब होता है तो ऐसी दशा में सेवा प्रदाता को हानि के फलस्वरूप कोई प्रतिपूर्ति की व्यवस्था होगी।	9–नहीं।
संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली	10–सेवा प्रदाता को प्रतिभूति (सिक्योरिटी) के रूप में कितनी धनराशि जमा करनी होगी।	10–चयनित सेवा प्रदाता को एक वर्ष की देय अनुबंध की धनराशि का 2 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
संयुक्त विकास आयुक्त, मेरठ	11–जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा सुझाव दिया गया कि गंगा प्रदूषण, कंट्रोल बोर्ड गाजियाबाद में सेवा प्रदाता कम्पनी के माध्यम से कर्मियों की सेवा प्राप्त की जा रही है। अतः बिड खोलने के समय गंगा प्रदूषण, कन्ट्रोल बोर्ड के अधिकारी को आमंत्रित किया जाना उचित होगा, जिससे इस सम्बन्ध में उनसे जानकारी प्राप्त की जा सके।	11–मण्डलायुक्त गण अपने विवेकानुसार विशेष आमंत्री को बैठक में भाग लेने हेतु बुला सकते हैं।
	12–मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा सुझाव दिया गया कि टेक्निकल बिड में टेक्निकल अधिकारी यथा लोक निर्माण विभाग /टी0ए0सी0 /सिंचाई के अभियन्ताओं को भी बिड्स की जांच के समय आमंत्रित कर लिया जाए।	12– मण्डलायुक्त गण अपने विवेकानुसार विशेष आमंत्री को बैठक में भाग लेने हेतु बुला सकते हैं।

मण्डलों से प्राप्त संदर्भों में विभिन्न प्रकार के सभी प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार अंकित किया गया है। कई मण्डलों से प्राप्त एक ही तरह के प्रश्नों के उत्तर की पुनरावृत्ति नहीं की गयी है। अतः मुझे कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होकर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रोहित नन्दन),
प्रमुख सचिव,

पत्रांकः– 93 /एनआरईजीएस /2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(आर0पी0 सिंह),
अनुसचिव,